

अध्याय -IV

शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

सारांश

शहरी स्थानीय निकायों के कुल वित्तीय संसाधनों (₹ 15256.23 करोड़) में स्वयं के राजस्व (₹ 2572.47 करोड़) का हिस्सा लगभग 17 प्रतिशत है। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2015–2020 के दौरान निधियों का हस्तांतरण तीसरे राज्य वित्त आयोग के मानदंडों से ₹ 256.10 करोड़ कम किया गया था।

वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए संपत्ति कर का औसत संग्रह कुल मांग का 63 प्रतिशत था। वर्ष 2015–19 की अवधि के दौरान संग्रह 67 से घटकर 58 प्रतिशत हो गया। चयनित शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2020 तक संग्रह के लिए ₹ 41.74 करोड़ की राशि बकाया थी। जीआईएस सर्वेक्षण केवल 10 (छः प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों में किया गया था।

इसी तरह 26 शहरी स्थानीय निकायों के जल शुल्क के मामले में वर्ष 2016–20 के दौरान संग्रह 67 से घटकर 58 प्रतिशत तक कम हुआ। मार्च 2020 तक चयनित शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 30.09 करोड़ जल कर बकाया था। इसके अलावा हमने देखा कि कोरबा को छोड़कर किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पानी के कनेक्शन के लिए मीटर स्थापित नहीं किया गया था और केवल नियत जल शुल्क लगाया जा रहा था। अतः हितग्राहियों से जल आपूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये व्यय के विरुद्ध मासिक जल प्रभारों का संग्रहण अपर्याप्त था। पट्टाधारकों/कब्जेदारों के विरुद्ध ₹ 3.52 करोड़ का दुकान किराया भी बकाया था।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बजट राशि का 17 से 40 प्रतिशत जल आपूर्ति में तथा बजट राशि का 61 से 86 प्रतिशत क्रमशः जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय किया गया।

जमीनी स्तर पर सौंपे गए कार्यों की प्रभावशीलता के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकाय आम तौर पर शैक्षालयों की व्याप्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के घरेलू स्तर की व्याप्ति को प्राप्त करने में प्रभावी थे, परंतु अन्य मानकों के संबंध में अंतर था।

किसी भी कार्य के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए सतत वित्त पोषण सर्वोपरी है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हस्तांतरित कार्यों को प्रभावी ढंग से तभी किया जा सकता है जब उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का समर्थन प्राप्त हो। इस तरह के वित्तीय संसाधन अनुमानित वित्तीय हस्तांतरण या स्वयं के राजस्व स्रोतों का रूप ले सकते हैं जो व्यय दायित्वों से प्रफुल्लित एवं अनुरूप हैं तथा उचित व्यय शक्तियों के साथ है। एक सशक्त राज्य वित्त आयोग तंत्र और राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को अनुमानित वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राजस्व के अपने स्रोतों तक पहुँच के लिए विशिष्ट राजस्व की धाराओं से उद्ग्रहण एवं संग्रहण करने की शक्ति दोनों समाहित है। व्यय शक्तियां उचित प्रत्यायोजन सीमाओं को संदर्भित करती हैं, जो शहरी स्थानीय निकायों को उनके वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देती हैं।

4.1 राजस्व के स्रोत

वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का विवरण नीचे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वयं का राजस्व	नियत राजस्व	अनुदान	कुल राजस्व	कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	कुल राजस्व में वित्तीय हस्तांतरण का प्रतिशत
2015–16	445.25	889.00	544.10	1878.35	23.70	28.97
2016–17	520.22	1071.46	1889.63	3481.31	14.94	54.28
2017–18	538.08	1351.26	1653.93	3543.27	15.19	46.68
2018–19	530.42	881.76	1542.20	2954.38	17.95	52.20
2019–20	538.50	1106.92	1753.50	3398.92	15.84	51.59
योग	2572.47	5300.40	7383.36	15256.23	16.86	48.40

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदाय सूचना)

शहरी स्थानीय निकायों के कुल वित्तीय संसाधनों में स्वयं के राजस्व का हिस्सा लगभग 17 प्रतिशत है। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकाय बड़े पैमाने पर अन्य राजस्व स्रोतों पर निर्भर हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं। इसके अलावा वर्ष 2018–20 की अवधि में स्वयं के संसाधनों का हिस्सा कम हो रहा था।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर राजस्व के स्रोत का दायरा बहुत सीमित है, विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य विकास कार्यों के लिए अनुदान प्रदान किया गया था।

4.1.1 शहरी स्थानीय निकायों का स्वयं के राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों के पास एक बड़ा स्वतंत्र कर का कार्यक्षेत्र नहीं है। भूमि और भवनों पर संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्वका मुख्य स्रोत है। शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के गैर-कर राजस्व में जल शुल्क, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से किराया, व्यापार लाइसेंस, योजनाओं/म्यूटेशन की मंजूरी के लिए शुल्क आदि शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकायों के कुल राजस्व में वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए स्वयं के राजस्व का हिस्सा नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में 16 से 29 प्रतिशत की सीमा मेंथा जैसा कि नीचे तालिका 4.2 में दिखाया गया है।

तालिका 4.2: वर्ष 2015–20 के लिए कुल वित्तीय संसाधनों के विरुद्ध स्वयं के कुल राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकाय का प्रकार	नियत राजस्व	स्वयं का राजस्व	शासन का अनुदान	कुल वित्तीय संसाधन	वित्तीय संसाधनों के प्रति स्वयं के राजस्व का प्रतिशत (प्रतिशत में)
नगर निगम	523.07	1461.95	3106.73	5091.75	28.71
नगर पालिका परिषद	60.76	101.64	470.43	632.83	16.06
नगर पंचायत	14.50	28.74	137.33	180.57	15.92

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति अत्याधिक नाजुक है और वे पूरी तरह से शासकीय अनुदान पर निर्भर हैं। यहां तक कि नगर निगम


भी कुल राजस्व का लगभग 29 प्रतिशत ही अपने राजस्व के रूप में एकत्र कर रहे हैं। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के कर राजस्व का विवरण तालिका 4.3 में दिखाया गया है।

तालिका 4.3: नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए स्वयं के कर राजस्व का विवरण

वर्ष	स्वयं के कर राजस्व का प्रकार				कुल स्वयं के कर राजस्व
	संपत्ति कर	समेकित कर	जल कर	बाजार कर	
2015–16	90.48	23.84	35.86	5.00	155.18
2016–17	156.59	25.78	40.58	4.60	227.55
2017–18	141.57	28.73	40.02	4.14	214.46
2018–19	130.06	26.64	40.44	0.00	197.14
2019–20	129.87	26.59	40.96	0.00	197.42
योग	648.57	131.58	197.86	13.74	991.75

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय जानकारी)

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान संपत्ति कर स्वयं कर राजस्व का प्रमुख योगदानकर्ता है जैसा कि चार्ट 3 में दर्शाया गया है।



4.1.2 शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को निधियां हस्तांतरित की गईं। वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर शासन से प्राप्त अनुदान, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का 48 प्रतिशत हिस्सा है।

क. विभाज्य निधि का कम जारी किया जाना

उत्तरोत्तर राज्य वित्त आयोगों ने सिफारिश की (राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2013 और अक्टूबर 2019 में स्वीकृत) कि राज्य शासन की विभाज्य निधि का 1.85 से 2.09 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। राज्य शासन द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली और वास्तविक रूप से हस्तांतरित की गई निधियां नीचे तालिका 4.4 में दर्शायी गई हैं।

तालिका 4.4: राज्य वित्त आयोग अनुदान के कम हस्तांतरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व/विभाज्य निधि	द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हस्तांतरित की जाने वाली निधि	राज्य शासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित निधि	कम जारी की गई निधि
2015–16	17074.86	315.88	228.24	87.64
2016–17	18945.21	350.49	339.98	10.51
2017–18	19894.68	415.80	547.45	–131.65
2018–19	21427.26	447.83	299.76	148.07
2019–20	22117.85	462.26	320.73	141.53
योग	99459.86	1992.26	1736.16	256.10

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण द्वितीय और तृतीय राज्य वित्त आयोग के मानदंडों की तुलना में ₹ 256.10 करोड़ कम था।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि 15वें वित्त आयोग की अवधि से समानता करने के लिए सरकार ने द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अवधि को वर्ष 2019–20 तक बढ़ाया गया है और तृतीय राज्य वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ की गई है। तथापि शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के कम अंतरण के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ख. नियत राजस्व में वृद्धि को प्रवृत्ति

नियत राजस्व वर्ष 2015–2020 की अवधि के दौरान कुल राजस्व का 35 प्रतिशत है। नियत राजस्व का वर्षवार विवरण नीचे तालिका 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: नियत राजस्व का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चुंगी ¹² क्षतिपूर्ति	स्टाम्प शुल्क	उत्पाद शुल्क	बार लाइसेंस	मनोरंजन कर	यात्री कर	कुल नियत राजस्व
2015–16	767.16	65.44	13.19	19.20	16.01	8.00	889.00
2016–17	916.08	79.00	13.51	35.50	19.37	8.00	1071.47
2017–18	1204.20	69.00	14.46	35.50	20.10	8.00	1351.26
2018–19	791.52	49.02	14.46	12.76	6.00	8.00	881.76
2019–20	1000.00	71.35	10.47	17.10	0.00	8.00	1106.92
योग	4678.96	333.81	66.09	120.06	61.48	40.00	5300.40

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय)


ग. चुंगी क्षतिपूर्ति

चुंगी मुआवजे की उगाही और संग्रह की शक्ति को वापस लेने के बाद, तीसरे वित्त आयोग ने सिफारिश की कि सरकार कर एकत्र करेगी और इसे शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर आवंटित राजस्व के रूप में उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 2001 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2003 में ₹ 26 की दर और प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से क्रमिक वृद्धि निर्धारित की। राज्य सरकार ने चुंगी मुआवजे में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के मानदंड को सितंबर 2007 में समाप्त कर दिया और निर्णय लिया कि

¹² एक शहर या शहर में प्रवेश करने वाले विभिन्न सामानों पर लगाया जाने वाला शुल्क तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने यातायात की भीड़ या व्यापार और व्यवसाय में अवांछित देरी से बचने के लिए शहरी स्थानीय निकायों से चुंगी को वापस ले लिया।

जब भी उचित समझा जाएगा इस दर में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा, द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने चुंगी मुआवजे की कुल राशि को शहरी स्थानीय निकायों को बिना किसी शर्त के हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और अगस्त 2014 में दर बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन तब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना व्ययएवं जनसंख्यामें तीव्र वृद्धि के बावजूद 17 वर्ष के बाद भी राज्य सरकार द्वारा चुंगी मुआवजे की दर में संशोधन नहीं किया गया है।

चुंगी क्षतिपूर्ति के मामले में कुल नियत राजस्व में भी धीरे-धीरे वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन हमने वर्ष 2015–20 के दौरान वर्ष 2017–18 और 2019–20 को छोड़कर नियत राजस्व में नकारात्मक वृद्धि देखी जैसा कि नीचे चार्ट 4 में दर्शाया गया है:



(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदाय सूचना)

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि चुंगी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों को उनकी मांग के अनुसार वेतन एवं भत्तों के लम्बित दायित्व के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। इसके अलावा, चुंगी मुआवजे की दर में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

घ. स्टाम्प शुल्क

अचल संपत्ति से संबंधित लेनदेन पर एक प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। महानिरीक्षक पंजीयक एवं मुद्रांक, छत्तीसगढ़ ने अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिये राशि एकत्र की।

हमने देखा कि दूसरे राज्य वित्त आयोग ने स्टाम्प शुल्क के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने और शहरी स्थानीय निकायों को स्टाम्प शुल्क के समय पर हस्तांतरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की। हालांकि, सरकार द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई है।

हमने यह भी देखा कि 33 शहरी स्थानीय निकायों को मुद्रांक शुल्क के कुल ₹ 47.88 करोड़ के हस्तांतरण में छ: माह से लेकर 10 वर्ष तक का विलम्ब हुआ था (परिशिष्ट 4)। इसके अलावा, वर्ष 2015–16 और 2018–19 के दौरान बजटीय प्रावधान ₹ 83.95 करोड़ के विरुद्ध, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए केवल ₹ 58.06 करोड़ का

आहरण किया। शेष राशि ₹ 25.89 करोड़ वर्ष के अंत में व्यपगत हो गई जैसा कि तालिका 4.6 में वर्णित है।

तालिका 4.6: वर्ष 2015–16 और 2018–19 के दौरान स्टाम्प शुल्क की व्यपगत राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकाय	वर्ष	बजट प्रावधान	आहरित राशि	व्यपगत राशि
नगर पंचायत	2015–16	12.60	9.04	3.56
	2018–19	12.60	5.76	6.84
नगर पालिका परिषद	2018–19	9.50	6.25	3.25
नगर निगम	2018–19	49.25	37.01	12.24
योग		83.95	58.06	25.89

(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदाय सूचना)


शासन ने कहा (दिसंबर 2021) कि महानिदेशक, पंजीयक एवं स्टाम्प अधीक्षक से स्टाम्प शुल्क के डाटा की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जायेगी जिससे वास्तविक बजट प्रावधान किया जा सके तथा शहरी स्थानीय निकायों को समय पर निधि उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्षों के मार्च माह में कोषालय द्वारा बिलों का भुगतान न करने के कारण स्टाम्प शुल्क का बजट प्रावधान व्यपगत हो गया।

4.1.2.1 केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को विभाज्य पूल खाते के प्रतिशत के रूप में मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान की सिफारिश की।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रदर्शन अनुदान के वितरण के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की:

- नगर पालिका को उस वर्ष से संबंधित लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करना होगा, जो उस वर्ष से पूर्व के दो वर्ष से पहले न हो, जिसमें नगरपालिका निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती है।
- नगर पालिका को पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्वमें वृद्धि दिखानी होगी जैसा कि लेखापरीक्षित खातों में दर्शाया गया है।
- नगर पालिका को पुरस्कार की अवधि के लिए हर साल बुनियादी शहरी सेवाओं के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्क को मापना और प्रकाशित करना चाहिए और इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।



(स्रोत: नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदाय सूचना)

हमने देखा कि सभी 169 शहरी स्थानीय निकायों ने 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर ₹ 1270.33 करोड़ का मूल अनुदान प्राप्त किया, लेकिन राज्य सरकार से वर्ष 2018–20 की अवधि के लिए ₹ 184.83¹³ करोड़ की राशि का निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं किया। विभाग द्वारा निष्पादन अनुदान प्राप्त न होने का कारण नहीं बताया गया।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की उचित सिफारिशों के साथ निधियां जारी करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन निधियां अभी तक जारी नहीं की गई हैं।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान के लिए राज्य सरकार ने कुछ शर्तें तय की जैसे कि वर्ष से संबंधित लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना, पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि को दर्शाना और पुरस्कार की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष बुनियादी शहरी सेवाओं के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क को मापना और प्रकाशित करना। यद्यपि लेखापरीक्षित लेखे समय पर तैयार किए जा रहे थे, स्वयं के राजस्व में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि नहीं हुई (पैरा 4.1.1 देखें)। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों का सेवा स्तर के बेंचमार्क के विरुद्ध प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं था (पैरा 4.3.1 देखें) जो यह इंगित करता है कि ये वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान जारी न करने के कारण हो सकता है। राज्य सरकार अतिशीघ्र निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए प्रयास कर सकती है।


4.1.3 संपत्ति कर

शहरी स्थानीय निकायों को प्रति वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी भवनों या खाली भूमि या दोनों पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार दिया गया था। प्रत्येक स्वामी को अपनी भूमि या भवन के वार्षिक किराये के मूल्य का आंकलन करना है और इस संबंध में रिटर्न के साथ संपत्ति कर की राशि, निर्धारित प्रपत्र में, स्वयं मूल्यांकन के आधार पर परिषद द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले जमा करना है। संपत्ति कर संग्रह पर हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

¹³ ₹ 184.83 करोड़ (वर्ष 2018–19 के लिए ₹ 80.03 करोड़ और वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 104.80 करोड़)

क. संपत्ति कर की कम वसूली

नमूना जांच किए गए 27 शहरी स्थानीय निकायों में हमने देखा कि वर्ष 2015–20 के लिए संपत्ति कर का औसत संग्रह कुल मांग का 63 प्रतिशत था और यह वर्ष 2017–18 और 2018–19 (चार्ट 6) में घट रहा था। इन चयनित शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2020 तक ₹ 41.74 करोड़ की राशि बकाया थी। विवरण परिशिष्ट 5 में दिया गया है।



(स्रोत: चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय सूचना)

ख. संपत्ति कर का संशोधन

नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 के अनुसार संपत्ति कर वार्षिक किराये मूल्य के न्यूनतम छह प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है, जैसा कि निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित एवं राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है।

नमूना जांच किए गए 27 शहरी स्थानीय निकायों में से 24 शहरी स्थानीय निकायों में अंतिम संशोधन वर्ष 2015–16 में किया गया था, जबकि तीन शहरी स्थानीय निकायों¹⁴ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

ग. संपत्ति कर बढ़ाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वेक्षण

तीसरे राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति कर के उद्ग्रहण में जीआईएस सर्वेक्षण के उपयोग की सिफारिश की।

हमने देखा कि जीआईएस सर्वेक्षण केवल 10 शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2017–18 में किया गया था। यद्यपि इन शहरी स्थानीय निकायों में भी जीआईएस सर्वेक्षण के आधार पर 100 प्रतिशत मांग तैयार नहीं की जा रही थी। आगे, राज्य सरकार ने 46¹⁵ शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति के सर्वेक्षण, संपत्ति कर के संग्रह और जीआईएस मैपिंग के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2020) प्रदान की।

तथापि, नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में संपत्ति कर के निर्धारण, अधिरोपण एवं संग्रहण में निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैं:

- किसी भी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में ऑनलाइन संपत्ति कर संग्रह प्रणाली शुरू नहीं की गई है, हालांकि, नमूना जांच किए गए नगर निगमों में इसे आंशिक रूप से लागू किया गया है।

¹⁴ नगर निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद खैरागढ़ और नगर पंचायत केशकल द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गये।

¹⁵ तीन नगर निगम और 43 नगर पालिका परिषद


- नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि कर की मांग और संग्रहण पंजी का संधारण ठीक से नहीं किया गया था। नगर निगम, रायपुर में वर्ष 2015–20 के दौरान वसूल की गई कर की राशि मांग से 18 से 87 प्रतिशत तक अधिक थी, यह दर्शाता है कि कर की मांग की राशि की गणना ठीक से नहीं की गई थी।
- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम रायपुर में केवल एक प्रकरण में रिक्त भूमि पर सम्पत्ति कर देखा गया, जहां फरवरी एवं जून 2019 में दो रिक्त भूमियों पर ₹ 8.72 लाख का कर निर्धारण किया गया। तथापि कर एकत्र नहीं किया गया। किसी अन्य नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय ने रिक्त भूमि पर सम्पत्ति कर का निर्धारण नहीं किया।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि ऑनलाइन संपत्ति कर संग्रह प्रणाली के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है और इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने फरवरी 2021 में छत्तीसगढ़ नगर पालिका 'भवन/भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण' नियम भी अधिसूचित किया है।

4.1.4 जल प्रभार

नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को उन भूमियों और भवनों के संबंध में जल कर लगाने का अधिकार दिया गया था, जिनमें जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है या जो जो नगरपालिका जल कार्यों के तहत पाइपलाइन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जुड़े हुए हैं।

कुल 27 शहरी स्थानीय निकायों में से 26¹⁶ में जल शुल्क की नमूना जांच से पता चला कि वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए औसत संग्रहण कुल मांग का केवल 61.65 प्रतिशत था (चार्ट 7)। वर्ष 2016–20 की अवधि के दौरान, संग्रह 67.12 से घटकर 57.64 प्रतिशत हो गया। मार्च 2020 तक इन चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से ₹ 30.09 करोड़ की राशि बकाया थी। विवरण परिशिष्ट 6 में है।



- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जल कर की दरों को जनवरी 2011 से संशोधित नहीं किया गया था।

¹⁶ नगर पंचायत तुमगांव में आज तक जलापूर्ति पाइप लाइन नहीं डाली गई है।

- हमने यह भी पाया कि कोरबा को छोड़कर किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकाय ने पानी के कनेक्शन के साथ मीटर स्थापित नहीं किया था और वास्तविक रीडिंग के अनुसार वॉल्यूमेट्रिक आधार पर बिल तैयार किया गया था।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किया गया जल शुल्क संचालन एवं रखरखाव और जल आपूर्ति के बिजली बिल पर किए गए खर्च को पूरा नहीं कर सके। फलस्वरूप नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने शहरीस्थानीय निकायों को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु पृथक निधि प्रदान की तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समर्त विद्युत बिलों का भुगतान किया।

शासन ने बताया कि (दिसंबर 2021) तुमगांव में वितरण पाइपलाइन बिछाने का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और परियोजना को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अमृत मिशन के तहत नौ नगर निगमों में मार्च 2022 तक पानी की मीटरिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और शेष शहरी स्थानीय निकायों में अमृत 2.0 के तहत पानी के मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। बकाया जल कर की वसूली के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

4.1.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घरेलू अपशिष्ट एकत्र किया जाना चाहिए और शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर उपभोक्ता प्रभार तय करने और आरोपण का अधिकार है। हालांकि, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किये जाने वाले उपभोक्ता प्रभारों की दरें निर्धारित की थी।

क. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता प्रभारों का आरोपण न किया जाना

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए 27 शहरी स्थानीय निकायों में से 25¹⁷ में वर्ष 2017–20 के दौरान उपभोक्ता प्रभार के रूप में ₹ 30.93 करोड़ वसूल किए गए थे। हमने यह भी पाया कि स्थापना की विभिन्न श्रेणियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था और शहरी स्थानीय निकाय एक समान न्यूनतम स्लैब दर पर उपभोक्ता प्रभार वसूल कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप नमूना जांच किए गए 27 शहरी स्थानीय निकायों में से 18 में, विभिन्न श्रेणी के प्रतिष्ठानों पर लागू स्लैब दरों के अनुसार ₹ 14.93 करोड़ उपभोक्ता प्रभार के स्थान पर ₹ 10.64 करोड़ संग्रहण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से ₹ 4.29 करोड़ मार्च 2020 तक बकाया था जैसा कि परिशिष्ट 7 में वर्णित है।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता का अभाव था क्योंकि वे संपत्ति कर, जल शुल्क, उपभोक्ता प्रभार आदि की दरें स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते थे।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि उपभोक्ता प्रभारों के संग्रहण में धीरे-धीरे वृद्धि हुयी तथा प्रतिष्ठान की श्रेणी के अनुसार उपभोक्ता प्रभारों के संग्रहण के निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। इसके अलावा, जनता देय उपभोक्ता प्रभार की पूरी राशि का भुगतान नहीं कर रही है जिसके परिणामस्वरूप बकाया शेष है।

4.1.6 राजस्व के अन्य स्रोत

छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा 6 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 127, शहरी स्थानीय निकायों को अन्य प्रकार के करों जैसे जल कर, सामान्य स्वच्छता उपकर, जल निकासी कर आदि लगाकर राजस्व के अन्य स्रोतों का पता लगाने के लिए

¹⁷ अर्जुन्दा और जरही द्वारा आंकड़ा प्रदान नहीं किया गया।

प्रावधानित करती है। हमने देखा कि वर्ष 2015–20 के दौरान 25 शहरी स्थानीय निकायों ने अन्य स्रोतों से ₹ 86.34 करोड़ का संग्रह किया। अन्य स्रोतों पर हमारे निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

क. बाह्य विज्ञापन पर करारोपण

कुल 27 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से केवल चार¹⁸ ने बाह्य विज्ञापन पर कर लगाया और वर्ष 2015–20 के दौरान ₹ 29.52 करोड़ का संग्रहण किया।

ख. मोबाइल टावर पर करारोपण

23 शहरी स्थानीय निकायों ने मोबाइल टावरों पर करारोपण के रूप में ₹ 3.57 करोड़ एकत्र किए। 23 शहरी स्थानीय निकायों के आसपास के क्षेत्र में स्थापित 1298 मोबाइल टावरों में से, चार¹⁹ शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में स्थित 155 मोबाइल टावर अनाधिकृत पाए गए थे, लेकिन इनके नियमितीकरण के और जुर्माना लगाने हेतु संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 1143 टावरों (22 शहरी स्थानीय निकाय) का ₹ 6.62 करोड़ का नवीनीकरण शुल्क बकाया था (अगस्त 2021) लेकिन संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नवीनीकरण शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी जैसा कि परिशिष्ट 8 में वर्णित है।

ग. दुकान का किराया

कुल 27 नमूना शहरी स्थानीय निकायों में से 25²⁰ में, मार्च 2020 तक दुकान का किराया ₹ 3.52 करोड़ बकाया था जैसा कि तालिका 4.7 में दिखाया गया है।

तालिका 4.7: बकाया दुकान किराये का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
प्रारम्भिक शेष	494.50	479.52	447.46	450.56	513.52
मांग	783.35	878.32	995.89	1041.38	1062.32
कुल मांग	1277.85	1357.84	1443.35	1491.94	1575.84
कुल वसूली	955.57	966.14	1179.23	1193.35	1224.34
अंतिम शेष	322.28	391.70	264.12	298.59	351.50

(स्रोत: चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय सूचना)

4.2 सेवाओं पर व्यय

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मामले में, बजट राज्य सरकार को सूचना के लिए भेजा जाना है, जो इन स्तरों पर राज्य सरकार के नियंत्रण को दर्शाता है।

बजट अनुमानों और वास्तविक आय और व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर था (तालिका 4.8)।

¹⁸ भिलाई, दुर्ग, कोरबा और रायपुर

¹⁹ बैकुंठपुर-2, जरही-5, रायपुर-146 और सूरजपुर-2 में अनाधिकृत मोबाइल टावर

²⁰ नगर पंचायत जरही व पथरिया द्वारा किसी भी दुकान का निर्माण नहीं कराया गया है।

तालिका 4.8: अवास्तविक बजट तैयार करने के संबंध में विवरण दिखाना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				व्यय			
	अनुमान	वास्तविक	अंतर	वास्तविक का अनुमान से प्रतिशत	अनुमान	वास्तविक	अंतर	वास्तविक का अनुमान से प्रतिशत
2015–16	3052.28	928.09	2124.19	30.41	3382.60	936.44	2446.17	27.68
2016–17	3472.45	1210.85	2261.60	34.87	3744.79	1081.87	2662.92	28.89
2017–18	3775.81	1507.52	2268.30	39.93	4200.65	1289.27	2911.38	30.69
2018–19	4048.83	1339.17	2709.66	33.08	4337.31	1335.36	3001.95	30.79
2019–20	4332.40	1704.43	2627.97	39.34	4669.06	1690.89	2978.17	36.21

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय सूचना)

शहरी स्थानीय निकायों का वास्तविक राजस्व अनुमानित राजस्व का औसतन केवल 36 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि बजट अवास्तविक रूप से तैयार किया गया था और वर्ष 2015–20 के दौरान राजस्व का अनुमान 64 प्रतिशत अधिक था।

शासन ने बताया (दिसंबर 2021) कि विभाग में योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि की अनुपलब्धता तथा शहरी स्थानीय निकायों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही निधियों के कारण प्रस्तावित अनुदान की राशि एवं प्राप्त वास्तविक अनुदान के बीच अन्तर उत्पन्न होता है।

4.3 चयनित सेवाओं पर व्यय

नमूना जांच किए गए 27 शहरी स्थानीय निकायों में हमने देखा कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अलावा, छः²¹ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्रदान नहीं की गई है। शेष 21 शहरी स्थानीय निकायों में हमने पाया कि चयनित सेवाओं यानी जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना पर व्यय, वर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान कम हो गया (तालिका 4.9)।

तालिका 4.9: चयनित सेवाओं की योजना और व्यय का विवरण


(₹ करोड़ में)

सेवायें	विवरण	वर्ष				
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
जल आपूर्ति	अनुमान	199.91	266.65	296.48	233.53	274.70
	व्यय	73.26	107.39	88.12	65.10	45.80
	अंतर प्रतिशत	63.35	59.73	70.28	72.12	83.33
सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	अनुमान	39.38	42.05	49.97	88.65	92.50
	व्यय	33.75	35.51	40.79	53.98	76.63
	अंतर प्रतिशत	14.30	15.55	18.37	39.11	17.16

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय सूचना)

²¹ अर्जुन्दा, डोंगरगढ़, गुंडरदेही, खैरागढ़, पथरिया और राजनांदगांव

इन सेवाओं पर औसत प्रति व्यक्ति व्यय वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए ₹ 3 से ₹ 714 के मध्य जो महत्वपूर्ण रूप से भिन्न था (चार्ट 8)। इतने बड़े अंतर का मुख्य कारण जनसंख्या घनत्व और विशेष क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर में अंतर है।



(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों से प्रदाय सूचना)

शहरी स्थानीय निकायों ने इन कार्यों पर औसतन 40 प्रतिशत व्यय किया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्य पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने थे। नीचे तालिका 4.10 से देखा जा सकता है कि जल आपूर्ति के मामले में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए व्यय में वर्ष 2015–20 की अवधि में काफी वृद्धि हुई है, तथापिवर्ष 2015–20 की अवधि के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रमुख व्यय/कार्य अभी भी लोक स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है (तालिका 4.10)।

तालिका 4.10: शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय

कार्यों पर किया गया व्यय		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
जल आपूर्ति	शहरी स्थानीय निकाय	3.34	230.34	211.09	256.09	469.96
	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग	360.62	441.24	345.80	343.66	234.50
	शहरी स्थानीय निकाय के व्यय का प्रतिशत	0.93	52.20	61.04	74.52	200.41
सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	शहरी स्थानीय निकाय	44.73	260.88	217.18	156.86	38.91
	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1767.96	2183.65	1614.74	2320.83	2187.80
	कुल व्यय का प्रतिशत	2.53	11.95	13.45	6.76	1.78

(स्रोत: यूएडीडी और विनियोग खाते द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

4.3.1 सौंपे गये कार्यों की प्रभावशीलता

सेवा वितरण में जवाबदेही शुरू करने के लिए बैचमार्किंग एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बुनियादी सेवाओं के निष्पादन प्रबंधन के लिए 2008 से सर्विस लेवल बैचमार्क निर्धारित किए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने चार बुनियादी

नगरपालिका सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तूफान जल निकासी के संबंध में निष्पादन निगरानी के लिए मानकीकृत ढांचे को निर्धारित करते हुए सर्विस लेवल बैंचमार्क हैंडबुक भी जारी की थी। सर्विस लेवल बैंचमार्क संकेतकों में जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज, पानी की गुणवत्ता, पानी की आपूर्ति में लागत वसूली, शौचालयों का कवरेज, सीवेज नेटवर्क सेवा का कवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का घरेलू कवरेज, नगरपालिका ठोस कचरे का पृथक्करण और निपटान और तूफान जल निकासी नेटवर्क का कवरेज शामिल है।

सर्विस लेवल बैंचमार्किंग पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विकसित हैंड बुक मांग करता है कि:

- (i) पानी और स्वच्छता क्षेत्र के लिए मानक प्रदर्शन मानकों के न्यूनतम सेट की पहचान करें जो देश भर में सभी हितधारकों द्वारा सामान्य रूप से समझे और उपयोग किए जाते हैं;
- (ii) इन संकेतकों पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य न्यूनतम ढांचे को परिभाषित करें; और
- (iii) इस ढांचे को चरणबद्ध तरीके से कैसे संचालित किया जाए, इस पर दिशा-निर्देश निर्धारित करें।

शहरी स्थानीय निकायों को समय-समय पर सर्विस लेवल बैंचमार्क पर निष्पादन रिपोर्ट तैयार करनी होती है और प्रदर्शन प्रबंधन के लिए प्रक्रिया को संस्थागत करना है।

कुल 28 मापदंडों में से तीन शीर्षों (जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के तहत, हमने 27 नमूना शहरी स्थानीय निकायों में से 24²² में तीन शीर्षों जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 17 मापदंडों का विश्लेषण किया। तालिका 4.11 इन मापदंडों के लिए निर्धारित सर्विस लेवल बैंचमार्क दर्शाती है।

तालिका 4.11: सर्विस लेवल बैंचमार्क के लिए संकेतकों का विवरण

जल आपूर्ति		
सरल क्रमांक	सूचक	बैन्चमार्क
1.	जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज	100 %
2.	प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति	135 एलपीसीडी
3.	पानी की आपूर्ति की निरंतरता	24 घंटे
4.	मीटर लगाने की सीमा	100%
5.	लागत वसूली	100%
6.	जल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90 %
सीवरेज		
संख्या	सूचक	बैन्चमार्क
1.	शौचालयों का कवरेज	100 %
2.	सीवेज नेटवर्क का कवरेज	100%
3.	सीवेज उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100%
4.	लागत वसूली	100%
5.	सीवेज जल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90%
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन		
संख्या	सूचक	बैन्चमार्क
1.	घरेलू स्तर का कवरेज	100%
2.	ठोस अपशिष्ट के संग्रहण में दक्षता	100%
3.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	100%
4.	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की सीमा	100%
5.	लागत वसूली	100%
6.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के संग्रहण में दक्षता	90%

(स्रोत: सर्विस लेवल बैंचमार्किंग पर हैंडबुक)

²² नगर पालिका परिषद बीजापुर, खैरागढ़ और डोंगरगढ़ द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।

क. जल आपूर्ति:

उन्नीस शहरी स्थानीय निकायों को अभी तक घरों में शत-प्रतिशत कनेक्शन प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा करना था। केवल नगर निगम कोरबा और चार²³ नगर पंचायतों ने शत-प्रतिशत परिवारों को कनेक्शन दिया था। 18 शहरी स्थानीय निकाय अभी भी प्रति व्यक्ति 135 एलपीसीडी पानी की आवश्यकता प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। जल आपूर्ति की निरंतरता की स्थिति में 24 घंटे जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तर के मानक उपलब्ध कराये गये हैं। जीर्णोद्धार और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ने भी 24 घंटे पानी की आपूर्ति के मानदंड निर्धारित किए। हालांकि, केवल 16 शहरी स्थानीय निकाय ही इन मानकों के मुकाबले प्रतिदिन दो से छह घंटे पानी उपलब्ध करा पा रहे थे।

ख. सीवरेज़:

इस अवधि में शौचालयों का दायरा काफी बढ़ गया है, जिसमें 15 शहरी स्थानीय निकायों ने 100 प्रतिशत कवरेज का संकेत दिया है। हालांकि, सीवेज नेटवर्क का कवरेज 13²⁴ शहरी स्थानीय निकाय सीवरेज उपचार में शून्य क्षमता के संकेत के साथ अत्यंत कम है।

ग. ठोस अपशिष्ट प्रबंधनः

घरेतू स्तर के कवरेज में काफी सुधार हुआ है, जिसमें 17 शहरी स्थानीय निकायों ने 100 प्रतिशत कवरेज का संकेत दिया है। इसी तरह, 16 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संग्रह क्षमता को भी 100 प्रतिशत बताया गया। 18 शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस कचरे के 100 प्रतिशत पृथक्करण की सूचना दी और केवल चार शहरी स्थानीय निकायों ने 85 प्रतिशत तक पृथक्करण की सूचना दी।

सिफारिशेंः

1. राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि शहरी स्थानीय निकायों के पास अपनी विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों।
2. शहरी स्थानीय निकायों को देय राजस्व की वसूली के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि प्राप्य राशि की पूरी तरह और समय पर वसूली हो सके।
3. शासन प्राप्तियों और व्यय के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक बजट अनुमान तैयार करना सुनिश्चित करे।
4. शासन शहरी स्थानीय निकायों को प्रशासनिक और कार्यकारी क्षेत्रों में पर्याप्त अधिकार प्रदान कर सकती है ताकि वे स्वशासित संस्थाओं के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और 74वें सीएए के प्रावधानों के अनुरूप नगरपालिका स्तर के शासन को मजबूत कर सकें।

²³ अर्जुन्दा, छुईखदान, गुण्डरदेही और जरही

²⁴ अर्जुन्दा, बालोद, बैंकुंठपुर, डभरा, डोंगरगांव, गंडई, गुंडरदेही, जरही, कर्वां, कोरबा, पथरिया, सुकमा और तुमगांव